

अनुदान संख्या 41 - पेंशन
GRANT No. 41 - PENSIONS

		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	Revenue:			
प्रभारित—	Charged-	400,00,00	367,16,48	-32,83,52
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			शून्य Nil
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	66440,81,00		
		67940,00,00	67903,55,84	-36,44,16
पूरक	Supplementary	1499,19,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. इस अनुदान के तहत प्रावधान मुख्य रूप से पेंशन, ग्रेच्युटी, पेंशन का संराशित मूल्य, भविष्य निधि में अंशदान, जमा लिंकड बीमा योजना – सरकारी भविष्य निधि, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी बीमा योजना, परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के वितरण के लिए था और इसमें संविधान के अनुच्छेद 290 के तहत भारत की संचित निधि प्रभारित और बाद में राज्य सरकारों से वसूली गई पेंशन शामिल है ।

2. अनुदान के प्रभारित भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई/हुआ :-

Notes and comments

1. The provision under the grant was mainly for disbursing Pensions, Gratuities, Commuted Value of Pensions, Contributions to Provident Funds, Deposit Linked Insurance Scheme - Government Provident Funds, Central Government Employees Insurance Scheme, Defined Contribution Pension Scheme and include Pensions charged on the Consolidated Fund of India and later recovered from the State Governments under Article 290 of the Constitution.

2. In the *charged* portion of the grant, savings/excess occurred under the following major head:-

कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
---------------------------------------	--	--

शीर्ष मुख्य शीर्ष "2071" पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	Head Major Head "2071" Pensions and other Retirement Benefits
---	--

39990.00	36710.48	-3279.52
----------	----------	----------

(I) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹ 3.00 लाख का विनियोग पूर्णतया अप्रयुक्त रहा ।

(I) Appropriation of ₹ 3.00 lakhs remained wholly unutilized under two heads.

(II) "सिविल" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्ष के अंतर्गत हुई :-

(II) Under "Civil" - savings occurred under the following heads:-

(का) "अधिवर्षिता और सेवानिवृत्ति भत्ते - साधारण पेंशन"- ₹ 1834.73 लाख की बचत (₹ 4600.00 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) मंत्रालयों/विभागों से कम संख्या में दावे प्राप्त होने के कारण हुई ।

(A) "Superannuation and Retirement Allowances - Ordinary Pensions" - saving of ₹1834.73 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹4600.00 lakhs) was due to receipt of less claims from Ministries/Departments.

(खा) "उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में पेंशन प्रभार"-

(B) "Pensionary charges in respect of High Court Judges" -

(क) राज्य सरकार(ओं) से वसूले जाने योग्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से संबंधित पेंशन प्रभार"- ₹ 1178.60 लाख की बचत (₹ 22687.00 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुई; और

(a) "Pensionary charges in respect of High Court Judges recoverable from State Government(s)" - saving of ₹1178.60 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹22687.00 lakhs); and

(ख) "संघ राज्य क्षेत्रों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में पेंशन प्रभार" - ₹ 652.76 लाख की बचत (₹ 1100.00 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुई ।

(b) "Pensionary charges in respect of High Court Judges of U.T.(s)" - saving of ₹652.76 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹1100.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कम संख्या में स्कॉल प्राप्त होने के कारण हुई ।

Savings under the above two heads were due to receipt of less scrolls.

3. उपर्युक्त बचतें "सिविल - ग्रेच्युटी - साधारण पेंशन" के अंतर्गत ₹513.34 लाख के अधिक व्यय (₹2823.00

3. The above savings were partly offset by excess under "Civil - Gratuities - Ordinary Pensions" -

लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में), मंत्रालयों/विभागों से अधिक दावों की प्राप्ति के कारण हुआ, द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गयीं।

excess of ₹ 513.34 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹2823.00 lakhs) was due to receipt of more claims from Ministries/Departments.

4. अनुदान के स्वीकृत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुए :-

4. In the voted portion of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2071" पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	Major Head "2071" Pensions and other Retirement Benefits			
मू.	O.	6639071.00	6788990.00	6787020.83
पू.	S.	149919.00		
मुख्य शीर्ष "2235" सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	Major Head "2235" Social Security and Welfare	5010.00	3335.01	-1674.99

(I) दो शीर्षों के तहत ₹51.00 लाख का प्रावधान पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹51.00 lakhs remained wholly unutilized under two heads.

(II) मुख्य शीर्ष "2071" - "सिविल" के अंतर्गत - बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :-

(II) Under Major Head "2071" - "Civil" - savings occurred under the following heads:-

(का) "अधिवर्षिता और सेवानिवृत्ति भत्ते - साधारण पेंशन" - ₹121022.88 लाख की बचत (₹3150000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(A) "Superannuation and Retirement Allowances - Ordinary Pensions" - saving of ₹121022.88 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3150000.00 lakhs);

(खा) "पेंशन का संराशीकृत मूल्य" -

(B) "Commutated Value of Pensions" -

(क) "साधारण पेंशन" - ₹29603.23 लाख की बचत (₹487500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(a) "Ordinary Pensions" - saving of ₹29603.23 lakhs (against the sanctioned provision of ₹487500.00 lakhs);

- (ख) “साधारण पेंशन (एआईएस)” – ₹896.50 लाख की बचत (₹12500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;
- (ग) “पारिवारिक पेंशन – नई परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (एनपीएस) अतिरिक्त असाधारण पारिवारिक पेंशन के अंतर्गत आने वाले सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु/निःशक्तता होने पर अतिरिक्त राहत” – ₹878.33 लाख की बचत (₹4000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और
- (घ) “छुट्टी नकदीकरण हितलाभ – साधारण पेंशन (एआईएस)” – ₹1141.01 लाख की बचत (₹9000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।
- उपरोक्त पाँच शीर्षों के अंतर्गत बचतें मंत्रालयों/विभागों से कम संख्या में दावे प्राप्त होने के कारण हुईं।
- (ङ) “विधायकों – संसद सदस्यों को पेंशन” – ₹2266.67 लाख की बचत (₹9775.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में स्कॉल प्राप्त होने के कारण हुई।
- (III) मुख्य शीर्ष “2235” – “अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम – जमा लिंकड बीमा योजना-सरकारी भविष्य निधि – सामान्य भविष्य निधि की जमा लिंकड बीमा संशोधित योजना” के तहत – ₹1471.43 लाख की बचत (₹4600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मंत्रालयों/विभागों से कम संख्या में दावे प्राप्त होने के कारण हुई।
- (IV) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹270.04 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 90 प्रतिशत है।
5. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष “2071” – “सिविल” – के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत हुए अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गयी थीं :-
- (I) “ग्रेच्युटी – साधारण पेंशन” – ₹62601.27 लाख का अधिक व्यय (मार्च, 2023 में प्राप्त ₹19919.00 लाख के
- (b) “Ordinary Pensions (AIS)” - saving of ₹896.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12500.00 lakhs);
- (C) “Family Pensions - Additional Relief on death/disability of Government Servants covered by the New Defined Contribution Pension Scheme (NPS) Extra Ordinary Family Pensions” - saving of ₹878.33 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4000.00 lakhs); and
- (D) “Leave Encashment Benefits - Ordinary Pensions (AIS)” - saving of ₹1141.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9000.00 lakhs).
- Savings under the above five heads were due to receipt of less claims from Ministries/Departments.
- (E) “Pensions to legislators - Members of Parliament” - saving of ₹2266.67 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9775.00 lakhs) was due to receipt of less scrolls.
- (III) Under Major Head “2235” - “Other Social Security and Welfare Programmes - Deposit Linked Insurance scheme-Government Provident Funds - Deposit Linked Insurance Revised Scheme of General Provident Funds” - saving of ₹1471.43 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4600.00 lakhs) was due to receipt of less claims from Ministries/Departments.
- (IV) Under one head saving of ₹270.04 lakhs occurred constituting 90 percent of the sanctioned provision.
5. The above savings were partly offset by excess under Major Head “2071” - “Civil” - under the following heads: -
- (I) “Gratuities - Ordinary Pensions” - excess of ₹62601.27 lakhs (against the total sanctioned

पूरक अनुदान सहित ₹550067.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(II) “छुट्टी नकदीकरण हितलाभ – साधारण पेंशन” – ₹25003.72 लाख का अधिक व्यय (मार्च, 2023 में प्राप्त ₹40000.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹321000.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(III) “परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के लिए सरकारी अंशदान – सरकारी अंशदान” – ₹64302.53 लाख का अधिक व्यय (मार्च, 2023 में प्राप्त ₹15000.00 लाख के अनुपूरक अनुदान सहित ₹764990.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय मंत्रालयों/विभागों से अधिक संख्या में दावों की प्राप्ति के कारण हुआ।

(IV) “राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सेवानिवृत्त/मृत कर्मचारियों के संबंध में पेंशन प्रभार – एनसीटी दिल्ली की सरकार से वसूले जाने योग्य पेंशन प्रभार” – ₹3098.75 लाख का अधिक व्यय (मार्च, 2023 में प्राप्त ₹45000.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹415000.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अधिक संख्या में स्कॉल प्राप्त होने के कारण हुआ।

(V) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹325.13 लाख का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 72 प्रतिशत है।

provision of ₹550067.00 lakhs including supplementary grant of ₹19919.00 lakhs obtained in March, 2023);

(II) “Leave Encashment Benefits - Ordinary Pensions” - excess of ₹25003.72 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹321000.00 lakhs including supplementary grant of ₹40000.00 lakhs obtained in March, 2023); and

(III) “Government Contribution for Defined Contribution Pension Scheme - Government Contribution” - excess of ₹64302.53 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹764990.00 lakhs including supplementary grant of ₹15000.00 lakhs obtained in March, 2023).

Excess under the above three heads were due to receipt of more claims from Ministries/ Departments.

(IV) “Pensionary Charges in respect of retirees/ deceased employees of Government of NCT Delhi - Pensionary charges recoverable from Govt. of NCT Delhi” - excess of ₹3098.75 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹415000.00 lakhs including supplementary grant of ₹45000.00 lakhs obtained in March, 2023) was due to receipt of more scrolls.

(V) Under one head excess of ₹325.13 lakhs occurred constituting 72 percent of the sanctioned provision.